झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

पत्रांक-03/कृ0रा0यो0-04/2024 - 94 /कृ0, रांची दिनांक-17-01-2025

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः **राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मृदा एवं जल संरक्षण योजना अन्तर्गत बंजर भूमि/राईस फेलो विकास उपयोजना अन्तर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार/गहरीकरण एवं जलनिधि उपयोजना अर्न्तगत परकोलेशन टेंक का निर्माण एवं डीप बोरिंग की योजना के कार्यान्वयन समयावधि को विस्तारित करने के संबंध में।**

प्रसंगः- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-10 दिनांक-04.05.2023, पूरक स्वीकृत्यादेश सं0-75 दिनांक-21.02.2024, आवंटनादेश सं0-27 दिनांक-04.05.2023, स्वीकृत्यादेश सं0-105 दिनांक-30.03.2024, भूमि संरक्षण निदेशालय का पत्रांक-1019 दिनांक-06.12.2024 एवं 1040 दिनांक-27.12.2024

महाशय,

राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में मृदा एवं जल संरक्षण योजना अन्तर्गत बंजर भूमि/राईस फेलो विकास उपयोजना अन्तर्गत पाँच एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले सरकारी/निजी तालाब का जीर्णोद्धार/गहरीकरण एवं जलनिधि उपयोजना अंतर्गत परकोलेशन टैंक निर्माण एवं डीप बोरिंग हेतु रू0 50000.00 लाख (पाँच सौ करोड़ रूपये) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-10 दिनांक-04.05.2023 एवं उक्त राशि का आवंटन आवंटनादेश सं0-27 दिनांक-04.05.2023 के द्वारा दी गयी है।

02. भूमि संरक्षण निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में कार्यहित में कार्य प्रारम्भ की गयी योजनाओं के लिए विषयगत योजनान्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-105 दिनांक-30.03.2024 द्वारा राशि रू. 29081.47015 लाख (दो सौ नब्बे करोड़ एकासी लाख सैंतालीस हजार पन्द्रह रूपये) मात्र को समेति, झारखण्ड, राँची के पी0एल0 खाता में हस्तांतरित करने एवं उक्त राशि का भुगतान माह अगस्त, 2024 तक करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

03. निदेशक, भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची द्वारा पत्रांक-1019 दिनांक-06.12.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि लोक सभा चुनाव आदर्श आचार संहिता के अवधि 15 मार्च, 2024 से जून, 2024 के प्रथम सप्ताह तक लागू रहने के कारण कुछ पानी-पंचायतों द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिसके कारण कुछ योजना अपूर्ण

रह गयी तथा लोक सभा चुनाव कार्य में क्षेत्रीय कर्मियों/पदाधिकारियों की संलिप्तता एवं संविदा आधारित कनीय अभियन्ताओं की सेवा अवधि विस्तार 30.06.2024 के बाद नहीं होने के कारण योजना के मापी पुस्तिका एवं विपत्र ससमय भूमि संरक्षण कार्यालय को उपलब्ध नहीं हो पायी, जिसके कारण योजनाओं का भुगतान लम्बित रह गया। निदेशक, भूमि संरक्षण पत्रांक–1019 दिनांक–06.12.2024 के माध्यम से यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि योजना के कार्यान्वयन अवधि मार्च 2025 तक विस्तारित करने से 701 अपूर्ण योजनाएँ पूर्ण हो जायेगी।

उक्त के आलोक में निदेशक, भूमि संरक्षण द्वारा कार्यहित में विषयगत योजना अन्तर्गत समेति के पी0एल0 खाता में हस्तांतरित राशि के अवशेष राशि से दायित्व की राशि का भुगतान करने तथा अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने हेतु उक्त योजना के कार्यान्वयन अवधि को मार्च, 2025 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

04. निदेशक, भूमि संरक्षण के प्रस्ताव के आलोक में विषयगत योजना हेतु समेति के पी0एल0 खाता में हस्तांतरित राशि के अवशेष राशि से दायित्व की राशि का भुगतान करने तथा अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने हेतु उक्त योजना के कार्यान्वयन अवधि को मार्च, 2025 तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विस्तारित अवधि तक राशि व्यय नहीं किये जाने की स्थिति में पी0एल0 खाता में जमा अवशेष राशि को राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

05. निदेशक, भूमि संरक्षण दावे एवं अभिश्रव की शुद्धता से स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। भुगतान में भविष्य में कोई दोहरीकरण अथवा गलत भुगतान पाया जाता है, तो इसके लिए निदेशक, भूमि संरक्षण तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे।

06. इस योजना हेतु निर्गत प्रासंगिक स्वीकृत्यादेशों की अन्य सभी प्रावधान/शर्त्तें यथावत रहेंगी। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो।

07. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

08. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव

पत्रांक–03/कृ0रा0यो0–04/2024 – 94 **/कृ0, राँची, दिनांक–** 17-01-2025

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

पत्रांक–03/कृ0रा0यो0–04/2024 – 94 **/कृ0, राँची, दिनांक–** 17-01-2025

प्रतिलिपिः– निदेशक भूमि संरक्षण, झारखण्ड, राँची को मूल प्रति के अलावा स्वीकृत्यादेश की प्रति उनके ई-मेल आई0डी0–dirsoilconservation@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

पत्रांक–03/कृ0रा0यो0–04/2024 – 94 /कृ0, राँची, दिनांक– 17-01-2025

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव (योजना)/अवर सचिव (योजना), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/निदेशक भूमि संरक्षण/निदेशक, समेति, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक, भूमि संरक्षण, राँची/सभी सहायक निदेशक (सर्वे), भूमि संरक्षण/संबंधित सभी जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी/संबंधित सभी भूमि संरक्षण पदाधिकारी/संबंधित सभी भूमि संरक्षण (सर्वे) पदाधिकारी योजना/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट एवं बजट शाखा–3, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।